मानहानि मामला | पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज के पुत्र कार्तिकेय द्वारा दायर मानहानि परिवाद का मामला

राहुल के मामले में भोपाल कोर्ट का रिकार्ड तलब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय की आर्डर-शीट और संबंधित रिकार्ड तलब करते हुए याचिकाकर्ता पक्ष को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है। अगली सुनवाई 23 जून को नियत की गई है।

दरअसल, यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि परिवाद से जुड़ा है। कार्तिकेय का आरोप है कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए उनका नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। इसी आधार पर भोपाल की

एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था, जिस पर विशेष मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। इसी समन और परिवाद को निरस्त कराने की मांग लेकर राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे हैं। पिछली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश-पत्र और आवश्यक दस्तावेज रिकार्ड पर न होने का मुद्दा उठाया था। इस पर याचिकाकर्ता पक्ष ने रिकार्ड प्रस्तुत करने की सहमति दी थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दस्तावेज पेश करने के लिए मोहलत देते हुए मामले को 23 जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी वारंट में लगी रोक हटी

बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने अभिषेक बनर्जी की याचिका को खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर लगी रोक को हटा दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट में साल 2021 में मानहानि का प्रकरण दायर किया था। जिसमें कहा गया था कि नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने उन्हें गुंडा कहा था। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये थे। जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिका में कहा गया था कि वह वर्तमान में टीएमसी सांसद हैं और उनके फरार होने की संभावना नहीं है। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए 12 नवंबर 2025 में गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर रोक लगा दी थी। बुधवार को याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। पास ओवर राउंड के दौरान भी उनकी तरफ से पैरवी के लिए न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिसे गंभीरता से लेते हुए एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने इस याचिका को आगे बढ़ाने में रुचि खो दी है। एकलपीठ ने गिरफ्तारी वारंट में लगी रोक को हटाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया। एकलपीठ ने आदेश की प्रति विशेष न्यायालय भोपाल को भेजने के निर्देश जारी किये है।

कलेक्टर समेत तीन अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना याचिका

जबलपुर। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों और निर्देशों की अनदेखी करने के आरोप में सागर जिले के गौरझामर स्थित देव दत्तात्रेय लोक न्यास की संपत्तियों से अतिक्रमण नहीं हटाने पर न्यासियों ने सागर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के विरुद्ध हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि न्यास की भूमि पर हुए अवैध कब्जों और निर्माणों के विरुद्ध प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उल्टे मंदिर के पुजारी सहित एक दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 107-116 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी गई। न्यासियों का दावा है कि ट्रस्ट की संपत्ति पर बिना सक्षम अनुमति के शापिंग काम्प्लेक्स का निर्माण किया गया, जबकि वर्ष 2012 में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट रजिस्टर से चार न्यासियों के नाम हटाने की कार्रवाई को हाईकोर्ट की युगलपीठ पहले ही अवैध घोषित कर चुकी है।

यूएन वूमेन के सेफ सिटी प्रोजेक्ट में जबलपुर शामिल

महिला सुरक्षा के लिए तैयार हुआ मास्टर प्लान

महिला सुरक्षा को लेकर दिए गए सुझाव

नवभारत,जबलपुर। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के वैश्विक मानचित्र पर संस्कारधानी जबलपुर ने एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

दुनिया के चुनिंदा 65 महानगरों में संचालित होने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सेफ सिटीज एंड सेफ पब्लिक स्पेस फॉर वूमेन प्रोजेक्ट के लिए भारत से एकमात्र शहर के रूप में जबलपुर का चयन हुआ है।

महापौर जगत बहादुर सिंह ''अन्नू'' की अगुवाई में यूएन वूमेन और नगर निगम के तत्वाधान में इस बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए बुधवार को मानस भवन के लघु कक्ष सभागार में एक उच्च स्तरीय और बेहद सकारात्मक कार्यशाला संपन्न हुई।

बैठक में महापौर जगत बहादुर सिंह ''अन्नू'', नगर निगम अध्यक्ष रिंकुज विज, एम.आई.सी. डॉ. सुभाष तिवारी, विवेकराम सोनकर, अंशुल राघवेन्द्र यादव और महिला पार्षदों ने यूएन वूमेन की टीम के साथ मिलकर शहर की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए एक सुरक्षित और सुदृढ़ वातावरण तैयार करने का रोडमैप तैयार किया। इस अवसर पर सभी महिला पार्षदों ने महिला सुरक्षा को लेकर अपने-अपने अतिमूल्यवान सुझाव दिये।

वैश्विक मंच पर जबलपुर का डंका

यह पूरे मध्य प्रदेश और देश के लिए गौरव की बात है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थल विकसित करने के इस वैश्विक अभियान में भारत की ओर से केवल जबलपुर को चुना गया है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और निगमाध्यक्ष रिंकुज विज ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना शहर की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली साबित होगी। बैठक की सबसे खास बात यह रही कि शहर के चप्पे-चप्पे की समझ रखने वाली महिला पार्षदों ने सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए व्यावहारिक और बेहद प्रभावी सुझाव साझा किए, जिन्हें प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। शहर के जिन सुनसान इलाकों में अंधेरा रहता है, वहां युद्ध स्तर पर आधुनिक प्रकाश व्यवस्था की जाएगी ताकि सुरक्षा का अहसास मजबूत हो।

आर्थिक रूप से मजबूत होंगी शहर की महिलाएं

बैठक में यह सर्वसम्मति से तय किया गया कि सुरक्षा के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण को इस अभियान का मुख्य आधार बनाया जाएगा। इसके तहत शहर की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए विशेष रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यूएन वूमेन की ओर से जौयत्री रे एवं रुद्राक्ष पाठक ने इस पूरी कार्ययोजना का बेहतरीन संचालन किया और जबलपुर नगर निगम के इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। बैठक में बड़ी संख्या में सजग महिला पार्षद उपस्थित रहीं, जिन्होंने जबलपुर को देश का सबसे सुरक्षित शहर बनाने का संकल्प दोहराया।

सुनवाई बिना कलंकपूर्ण या प्रतिकूल टिप्पणी करना अनुचित : हाईकोर्ट

मनमाना आदेश निरस्त, भोपाल तहसीलदार को राहत

ओरछा स्थित श्री रामराजा सरकार मंदिर के व्यवस्थापक के पद पर पदस्थ रहने का मामला

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने अपने अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को सुने बिना उसके खिलाफ कलंकपूर्ण या प्रतिकूल टिप्पणी करना प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। इसी महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का वह हिस्सा निरस्त कर दिया, जिसमें एक तहसीलदार को बिना पक्षकार बनाए मामले में सहभागी बताया गया था।

हाईकोर्ट ने भोपाल में पदस्थ तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल की याचिका स्वीकार करते हुए यह राहत प्रदान की। प्रकरण के अनुसार वर्ष 2017 में बघेल ओरछा स्थित श्री रामराजा सरकार मंदिर के व्यवस्थापक व तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे। मंदिर के क्लर्क मुन्नालाल तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायतों पर जांच हुई, जिसके बाद उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया। अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त करते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह टिप्पणी कर दी थी कि कमरे की चाबी व्यवस्थापक के पास रहती थी, इसलिए तहसीलदार भी कथित कृत्य में सहभागी हैं और उनके खिलाफ जांच शेष है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी टिप्पणी जमानत अर्जी के निपटारे के लिए आवश्यक नहीं थी। याचिकाकर्ता न तो उस कार्यवाही का पक्षकार था और न ही उसे अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि बाद की विभागीय जांच में सक्षम प्राधिकारी ने उसे दोषमुक्त पाया था। इन परिस्थितियों में प्रतिकूल टिप्पणी को असंगत मानते हुए हाईकोर्ट ने विवादित आदेश निरस्त कर दिया।

अभय गुप्ता ने ग्रहण किया पदभार

जबलपुर, नवभारत। अभय कुमार गुप्ता ने मंगलवार को पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल में अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन एवं इन्फ्रा) के पद का कार्यभार ग्रहण किया। श्री गुप्ता इससे पूर्व, पूर्व रेलवे के कंचरापारा वर्कशॉप में उप मुख्य विद्युत अभियंता (लोको) तथा पूर्व रेलवे में विभिन्न

मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य) के पद पर कार्यरत थे। वे भारतीय रेल विद्युत सेवा के वर्ष 2006 बैच के अधिकारी हैं तथा उन्होंने वर्ष 2001 में आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. की उपाधि प्राप्त की है।अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने भारतीय रेल के विभिन्न मंडलों एवं जोनों में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। इसके अतिरिक्त वे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय में सहायक निदेशक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। जबलपुर रेल मंडल में पदभार ग्रहण करने के उपरांत श्री गुप्ता ने मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा एवं अन्य शाखा अधिकारियों से भेंट की।

आगर मालवा, अनूपपुर की खुली पेटियां, जारी है काउंटिंग

जबलपुर, नवभारत। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव 2026 की मतगणना प्रक्रिया दिनांक 16 जून से प्रारंभ हो गई है। मतगणना कार्य को पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के उद्देश्य से इसकी कार्यवाही का प्रतिदिन यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जा रहा है। इसके साथ ही मतगणना स्थल पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज भी प्रसारित की जा रही है। प्रदेशभर के अधिवक्ता एवं मतदाता वास्तविक समय में संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन कर पा रहे हैं।मतगणना से संबंधित प्रत्येक चरण एवं अद्यतन जानकारी मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जा रही है। वेबसाइट पर ऑनलाइन काउंटिंग प्रक्रिया की प्रगति, मतगणना से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा

अन्य आवश्यक जानकारी समय-समय पर अपडेट की जा रही है प्रदेश के हजारों अधिवक्ताओं द्वारा मतदान किए जाने के पश्चात अब मतगणना कार्य चरणबद्ध तरीके से जारी है। मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं तथा पूरी प्रक्रिया की निगरानी निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

खुली मत पेटियां

मतगणना के प्रथम दिवस 16 जून को आगरमालवा, अलीराजपुर एवं अनूपपुर जिले की मतपेटियों को खोला गया तथा उनकी मतगणना की गई। वहीं द्वितीय दिवस 17 जून को राजेन्द्रग्राम, कोतमा, अशोकनगर, चंदेरी, ईशागढ़, मुंगावली, बड़वानी एवं अंजड़ की मतपेटियों को खोला गया तथा उनकी मतगणना की प्रक्रिया संपन्न की गई। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि वे मतगणना से संबंधित प्रमाणिक एवं अद्यतन जानकारी के लिए परिषद की आधिकारिक वेबसाइट एवं यूट्यूब लाइव प्रसारण का अवलोकन करें। मतगणना पूर्ण होने के उपरांत परिणामों की आधिकारिक घोषणा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

चार दशक पुराने कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने शहपुरा भिटौनी में कथित अतिक्रमण हटाने की नगर परिषद की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने शंभू प्रसाद रजक सहित नौ याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 जून 2026 के ध्वस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे 40-50 वर्षों से भूमि पर वैध दस्तावेजों के आधार पर काबिज हैं, जबकि बिना नोटिस और सुनवाई के तीन दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया। न्यायालय ने मामले को 18 जून को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए तब तक ध्वस्तीकरण पर रोक बरकरार रखी है।

महाराणा प्रताप जयंती पर खोला स्कूल

शासन द्वारा घोषित अवकाश की अवहेलना

नवभारत,जबलपुर। मालवीय चौक स्थित अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रबंधन ने मप्र शासन द्वारा महाराणा प्रताप जयंती पर घोषित अवकाश की अवहेलना करते हुए स्कूल खोल लिया। हालांकि बाद में इसका विरोध शुरू हुआ तो स्कूल प्रबंधन ने आनन-फानन में अभिभावकों को मैसेज भेजकर अवकाश घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार महाराणा प्रताप जयंती पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ। इसके बावजूद बुधवार को मालवीय चौक स्थित अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रबंधन ने सामान्य दिनों की तरह अध्यापन व स्कूल संचालन किया। विरोध के बाद अवकाश घोषित किया गया।

अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल पहले भी विवादों में रहा है। पहले भी आधिकारिक सरकारी गाइडलाइंस से अलग नीतियां अपनाने के कारण प्रशासनिक जांच व चर्चा का विषय बन चुका है। इससे पूर्व विद्यालय द्वारा रविवार के स्थान पर शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश का नोटिस जारी करने पर विभागीय अधिकारियों ने संज्ञान लिया था। इसके अतिरिक्त कड़ाके की ठंड में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को विलंब से शुरू करने के निर्देशों पर भी प्रबंधन द्वारा अनदेखी की गई थी।

इनका कहना है

महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर घोषित शासकीय अवकाश पर अंजुमन इस्लामिया स्कूल के द्वारा विद्यार्थियों को छुट्टी नहीं देने का मामला संज्ञान में आया है जल्द ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा जिसके बाद आगे की कार्यवाही होगी।

घनश्याम सोनी
जिला शिक्षा अधिकारी

पश्चिम मध्य रेल में 14 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित

जबलपुर, नवभारत। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सुविधाजनक, सुरक्षित एवं पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कैशलेस ट्रांजेक्शन को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में पश्चिम मध्य रेल भी सक्रिय रूप से प्रयासरत है और विभिन्न डिजिटल भुगतान माध्यमों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। पश्चिम मध्य रेल के तीनों मंडलों जबलपुर, भोपाल एवं कोटा में पीआरएस एवं यूटीएस काउंटर्स पर यूपीआई/भीम, मोबाइल टिकटिंग तथा पीओएस मशीनों के माध्यम से कैशलेस भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, यात्रियों को ट्रेनों एवं स्टेशन परिसरों में डिजिटल माध्यमों से टिकट खरीदने और भुगतान करने हेतु भी प्रेरित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के दूसरे माह मई में पश्चिम मध्य रेल ने पीआरएस एवं यूटीएस के माध्यम से कुल 15,16,423 यात्रियों से 14,13,15,304 का कैशलेस ट्रांजेक्शन कर रेलवे राजस्व अर्जित किया। वही पीआरएस के अंतर्गत पीओएस मशीनों से ?12,16,395 तथा यूपीआई/भीम ऐप से ?5,54,84,864 का राजस्व प्राप्त हुआ। यूटीएस प्रणाली में मोबाइल टिकटिंग से 1,71,22,315 एवं यूपीआई भीम ऐप से 6,74,91,730 का राजस्व अर्जित किया गया।

डिजिटल भुगतान के लाभ

डिजिटल भुगतान प्रणाली से यात्रियों को नकद धनराशि ले जाने की आवश्यकता समाप्त होती है, जिससे समय की बचत के साथ-साथ लेन-देन में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है।

प्लास्टिक के डिब्बों में एक दिन में दिया जा सकेगा दो सौ लीटर तक डीजल

जबलपुर । कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने पूर्व में पेट्रोल पंपों से प्लास्टिक के डिब्बे में डीजल प्रदाय करने पर लगाई गई रोक को आज एक आदेश जारी कर जिले के किसानों को तथा स्वास्थ्य सेवाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं अत्यावश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन के मद्देनजर शिथिल कर दिया है। कलेक्टर सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब जिले में स्थित पेट्रोल पंपों से किसानों तथा स्वास्थ्य सेवाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं अत्यावश्यक सेवाओं से व्यक्ति अथवा संस्थान की पहचान और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एक दिन में एक बार अधिकतम 200 लीटर तक डीजल प्लास्टिक के डिब्बों में प्रदाय किया जा सकेगा।

आदेश में पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिये गये हैं कि किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान को डीजल विक्रय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से दर्ज करें और प्रत्येक ग्राहक को रसीद अवश्य जारी करें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डीजल विक्रय से संबंधित अभिलेखों के संधारण एवं सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी पेट्रोल पंप संचालक की होगी। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

Mr. Solar महाकौशल का सबसे भरोसेमंद सोलर पार्टनर
कोई झूठा वादा नहीं, सिर्फ सच
• कम बिजली बनने पर क्षतिपूर्ति हम करेंगे • विक्रय पश्चात सर्वोत्तम वारंटी एवं मेंटेनेंस सर्विस • सबसे तेज सब्सिडी प्रोसेसिंग • सर्टिफाइड प्रोडक्ट
Pls call us on 6267100743, 9644555001
Office : Mr. Solar & Co- 402, 4th Floor, Kaushalya Vihar Apartment, Near Bhanwartal Garden, Napier Town, Jabalpur

THE BEST CREATIVE LEARNING SCHOOL OF JABALPUR
GOLDEN STAR A MONTESSORY SCHOOL
For Details Call 9981997833 9981997834
Play Nursery | Nursery KG I - KG II | 1st to VIIIth
CBSE PATTERN OF STUDY | AFFILIATED TO MP BOARD
Mrs. Anamika Singhai Founder
81, Ashok Nagar, In front of Jain Mandir, Adhartal, Jabalpur (M.P.) | Ph. No. : 0761-4115332 | E-mail : goldenstar81@gmail.com

GREEN VALLEY PUBLIC SCHOOL
A Residential & Day Boarding School
NURSERY TO CLASS 12th ADMISSIONS OPEN 2026-27
BIG DREAMS NEED A BIG START
GVPS SHAPE THE LEADERS OF TOMORROW WITH FUTURE-READY FACILITIES
KEY FEATURES: Affiliated to CBSE, Bus Facility, Air Cooled Hostel, Atal Tinkering Lab, Separate Hostel for Girls & Boys, Safe Campus, Large Playground, Healthy Environment, Greenery in Abundance, State of Art Classrooms, Digital Classrooms, CCTV Surveillance
For more Information 9300154300, 9300119919
Raigwan, Next to Bharat Petroleum, Patan Road, Jabalpur

होली लाईट चिन्ड्रन्स ऐकेडमी हॉयर सेकेण्डरी स्कूल
प्रवेश प्रारम्भ
Holy Light Children's Academy Higher Secondary School
शासन द्वारा मान्यता प्राप्त (नर्सरी से बारहवीं तक) हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम
नोट- गरीबी रेखा कार्ड धारकों को फीस में विशेष सुविधा
अभिभावकों को मोबाईल एप द्वारा विद्यालय की समस्त जानकारी लाईव • अनुभवी शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा अध्यापन • स्वच्छ शिक्षा वातावरण • खेलकूद के लिये मैदान व शाला भवन की स्थाई ईमारत • विशिष्ट शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापन, नैतिक/पारम्परिक संस्कारों से सुसज्जित शिक्षा • पेंटिंग, ड्राईंग, योग कक्षा, जूडो का विशेष प्रशिक्षण, कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था • पिकनिक, आनंद मेला, वार्षिकोत्सव व क्राफ्ट प्रदर्शनी का प्रत्येक वर्ष आयोजन
फेल विद्यार्थी निराश न हो दसवीं, बारहवीं मार्क्शीट से पास सभी BA,B.Com., B.Sc.,LLB, B.Ed, M.Ed. हेतु संपर्क करें
Jai Prakash Nagar, Adhartal, Jabalpur (MP) 482004 Mob: 9301646302, 9407059444

भवन निर्माण
भवन निर्माण 1500/- वर्गफुट कंस्ट्रक्शन
मॉड्यूलर किचन, लेटबाथ, स्टील रेलिंग, बिजली, पानी, मटेरियल सहित कम्पलीट वर्क
संपर्क- कमलेश पटेल, मोबाइल 6260334877

LEONARD H.S.SCHOOL (Recognised by Govt of M.P.)
Classes : Nursery to 12th
Come and join us ADMISSION OPEN
Informatics Practices/Maths Science/Commerce/Arts Groups
The School is located in a Peaceful and eco friendly atmosphere.
Emphasis is given on Spoken English in all the classes.
Sports and Cultural activities are held on a regular basis.
Excellent Board Results Year after Year.
53, Denning Road, Behind Civil Line Police Station Jabalpur (MP)
Phone : 0761-4030678, 9425387092, 7999910499

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी ऐवेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाउन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाउन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित *, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पी.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57